"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 अप्रैल 2017 — वैशाख 2, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-47/2010/20-3. — नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 23 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ग) सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणाम तैयार करना, और

(घ) परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने, सतत् और व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिये दिशा-निर्देश तैयार करना."

No. F 13-47/2010/20-3. — In exercise of the power conferred by Section 38 of Right of Children to Free ad Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 23, in sub-rule (2), for clause (c), the following shall be substituted, namely :-

"(c) prepare class-wise, subject-wise learning outcomes for all elementary classes; and

(d) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation, to achieve the edfined learning outcomes."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.